


भा0कृ0अ0प0-केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर
तहसील-मालपुरा, जिला-टोंक (राजस्थान)- 304 501

फा0सं0 प्रशा.द्वितीय/आयकर/2019-20/ 500

दिनांक: 24-11-2020

परिपत्र

मुख्य संस्थान, अविकानगर व तीनों उपकेन्द्रों के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वित्त वर्ष 2020-21 की अवधि के लिये आयकर गणना कर आयकर की सही कटौती की जानी है। अतः अधिकारी/कर्मचारी जो उक्त वित्त वर्ष के लिये आयकर गणना हेतु पुराना विकल्प लेना चाहते हैं, वे आयकर में छूट से सम्बन्धित कटौतियों (वेतन के अतिरिक्त) के सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे-एल.आई.सी., पी.पी.एफ., पी.एल.आई., होमलोन इत्यादि की प्रतिलिपि दिनांक 11.12.2020 तक अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करें। इसके अलावा यह भी सूचित किया जाता है कि सभी अधिकारी/कर्मचारी अपने आयकर गणना से संबंधित विकल्प जैसे **नया विकल्प या पुराना विकल्प** अवश्य उल्लेख कर भिजवाए साथ ही वेतन के अतिरिक्त होने वाली आय को भी उल्लेखित कर भिजवाने का श्रम करें। यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा विकल्प का उल्लेख कर नहीं भिजवाया जाता है तो उनके आयकर की गणना पुराने विकल्प के अनुसार की जायेगी जिसके वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।


24/11/2020
(एम0ए0 खान)

आहरण एवं सवितरण अधिकारी

वितरण : 1. संस्थान एवं उपकेन्द्रों के सभी अधिकारी/कर्मचारी (द्वारा ईमेल)